

राजसिप/उषेज/फ-३/पारी-६५/२०००/३१३२

दिनांक : १०.०६.२०००

भारत के राजपत्र भाग-३, खण्ड-४ में प्रकाशनार्थी

आदेश

डी.ए.एन.कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन फॉर वीपेन, नवाशहर, दोआबा, पंजाब ने मान्यता प्राप्त बीएड पाठ्यक्रम की अतिरिक्त ५० सीटों की मान्यता हेतु समिति कार्यालय में दिनांक १६.३.२००० को आवेदन किया था।

समिति कार्यालय द्वारा सम २०००-२००१ से अतिरिक्त सीटों की मान्यता पर लिना। हेतु संस्था का दिनांक ५ अप्रैल, २००० को मूल्यांकन कराया गया था तथा संस्था की मूल मिसिल, मूल्यांकन प्रतिवेदन, परिषद् अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत कारी विनियमों/मानदंडों की प्रति तथा उप-समिति द्वारा अनुमोदित एकेन्द्र नोट की प्रति उत्तर द्वारा समिति की दिनांक १२-१३ अप्रैल, २००० को सम्पूर्ण हुई २४ बीं बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किए गए हैं। समिति ने प्रकरण पर विचार कर गया कि संस्था में चारों दो मानदंडों के अनुसार कामियों हैं अतः संस्था को विभागित कामियों की सूचना प्रेषित करते हुए, उक्त कामियों के संबंध में परिषद् अधिनियम १९९३ की पारा १४ (३)(बी) के अन्तर्गत लिखित अन्वयावेदन प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया जाए।

क्रमं	पाई गई कमियों
(अ) कार्यालय पाठ्यक्रम पर कमी	मानदंडानुसार निर्धारित योग्यता के नियमित वैलन शुरूखला में पूर्ण १०० सीटों पर १० अध्यापक होने चाहिए। मानदंड के गैरा ३ व ३.१ के अनुसार अन्य कद्दों की भी कमी है। प्रयोगशालाओं में उत्तरकरण मानदंडों के गैरा ३.३ के अनुसार कम हैं।
(ब) अतिरिक्त पाठ्यक्रम के लिए कमी	अतिरिक्त सीटों के लिए परिषद् के नार्सू एड स्टोफल्स के गैरा २.१, २.२, २.३, व २.५ के अनुसार निर्धारित योग्यता व विषयों के अनुसार नियमानुसार राज्य सरकार/नियमित्यालय/यू.ली.सी. के नियमानुसार गठित चयन समिति द्वारा पूर्ण कालिक एवं प्रियंकित वैलन शुरूखला में चयनित रीढ़/व्याख्याताओं की १:१० के मानदंडों से कमी है। ना ही अब तक नियमानुसार चयन प्रक्रिया प्रारंभ कर रोका/व्याख्याताओं का चयन तक उनसे परिषद् द्वारा मान्यता मिलने पर कार्यान्वयन करने की सहायता प्राप्त की है।

समिति के नियमानुसार संस्था जो दिनांक २६.४.२००० को गोदिल क्रांति राजसिप/उषेज/फ-३/धीबी-६५/२०००/६८७ जारी किया गया था। संस्था ने उपरोक्त नोटिस का उत्तर अपने पत्र दिनांक ९.५.२००० एवं दिनांक ३१.५.२००० के द्वारा प्रेषित किया था। संस्था के लिखित अध्यापकम् एवं संस्था की मूल मिसिल, मूल्यांकन प्रतिवेदन, परिषद् अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत जारी विनियमों/मानदंडों की प्रति तथा अन्य साम्बन्धित दस्तावेज आदि उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक ४-५ जू. २००० को सम्पूर्ण हुई २६ बीं बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति ने प्रकरण पर विचार कर गया कि संस्था के बीएड पाठ्यक्रम की अतिरिक्त सीटों की मान्यता को संस्था में परिषद् मानदंडों के अनुसार पाई गई नियमित्यालिखित कामियों के कारण अस्वीकार कर दिया जाए।

क्रमं	संस्था में पाई गई कमियाँ
१	संस्था को अतिरिक्त ५० सीटों के लिए मानदंडों के अनुसार ५ प्रवक्ता चाहिए। परिषद् मानदंडों के गैरा २.२ के

-2-

अनुसार निर्धारित योग्यता में मानदंडों के पैरा 5.3 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुनरीक्षित योग्यता शृंखला के साथ 5 प्रवक्ताओं की कमी है। संस्था द्वारा प्रस्तुत किए गए 5 प्राप्यापक निर्धारित योग्यता नहीं रखते हैं, न ही पैरा 5.3 के अनुसार बेतन शृंखला देने का प्रस्ताव है।

उत्तर क्षेत्रीय समिति के उपरोक्त विनाय के अनुसार डी.ए.एन. कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन फॉर वीमेन, नज़ाराहार, दोआवा, पंजाब द्वारा मान्यता द्वारा दीएड पाठ्यक्रम की अंतिरिक्त सीटों की मान्यता को संभवा में पाई गई उपरोक्त कमियों के कारण तुम्हारे प्रधान से अद्विकाप किया जाता है जबकि संस्था एवं सम्बन्धित अधिकारी ने यह भिट्ठे दिया जाता है कि संस्था में लीएड पाठ्यक्रम में मान्यता प्राप्त सीटों से अधिक सीटों पर प्रवेश न करें। यदि संस्था या सम्बन्धित विश्वविद्यालय अंतिरिक्त सीटों पर प्रवेश करता है तथा उन छात्रों की परीक्षा आयोजित कर उनके लीएड पाठ्यक्रम की उपाधि प्रदान करता है तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 17 (4) के अन्तर्गत उन छात्रों को प्रदत्त लीएड की उपाधि के बाद सरकार बोर्ड भी राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या किसी भी विद्यालय या विश्वविद्यालय अन्य शैक्षणिक संस्थान जो कि केन्द्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार से अनुदानित हो में राज्यांग के लिए वैध योग्यता नहीं मानी जाएगी यदि संस्था घाटे तो उक्त अंतर्गत के सामेज राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 18 के अंतर्गत परिषद् मुख्यालय ने इस अंतर्गत के जारी होने की रियास से 60 दिन के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् मुख्यालय के सम्मुख आगिल जर सकती है। अपील के संदर्भ में दिशा-निर्देश अंतर्गत मात्र संलग्न किए जा रहे हैं। इस अंतर्गत का अंग्रेजी अनुवाद यहां आरो किया जा रहा है।

आपा से
C. M.
(डॉ. एस. एन. मेहरी)
क्षेत्रीय नियंत्रक

प्रति —

प्रधानमंत्री

भारत सरकार

प्रकाशन विभाग

सिनिल लाइब्रेरी, दिल्ली- 110054

ग्रन्तिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

- 1) शिक्षा सचिव, पंजाब सरकार, गाहान संचिवालय, चाण्डीगढ़
- 2) डी.पी.आई. कॉलेज, पंजाब सरकार, चाण्डीगढ़
- 3) बुक्स सचिव, सम्बन्धित विश्वविद्यालय
- 4) सदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली
- 5) प्राचार्य, डी.ए.एन. कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन फॉर वीमेन, नज़ाराहार, दोआवा, पंजाब
- 6) कम्प्यूटर फाइल (उपोस)

क्षेत्रीय नियंत्रक